कार्यालय कलेक्टर (संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण), जिला उज्जैन

क्रमांक/निक/२०१९-२०/ 3568 उज्जैन, दिनांक 30/12/19

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला उज्जैन

विषय :- ६ से १८ वर्ष की आयु के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को विद्दयालयों में नि:शुक्ल प्रवेश एवं शिक्षण के संबंध में ।

संदर्भ :- जिला प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक ०५ सितंबर २०१९ के बिन्दु क्रमांक १० के परिपालन में।

----00----

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत ज्ञात हो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ की धारा ३१(१) एवं ३१(२) के अनुसार ४० प्रतिशत या उससे अधिक के समस्त दिव्यांग छात्र-छात्राओं को जिनकी आयु ६ से १८ वर्ष तक हो, को नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है साथ ही अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्रा अपने पड़ोस के या अपनी पसंद के किसी भी विद्दयालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते है ।

उक्त अधिनियम की धारा ८९ के अनुसार अधिनियम की किसी भी धारा के उल्लंघन पर जिम्मेदार व्यक्ति / संस्था पर राशि रूपये ५ लाख तक का जुर्माना किये जाने का प्रावधान है ।

उक्त प्रावधान से जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्दयालयों को अवगत करा कर दिव्यांग छात्र-छात्राओं के नि:शुल्क प्रवेश एवं शिक्षण का परिपालन करना सुनिश्चित करें ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

क्रमांक/निक/२०१९-२०/ 3569 उज्जैन, दिनांक 30/12/19

प्रतिलिपि :-

कार्यालय, संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन